<u>निरीक्षण प्रकिया</u>

संव्यवहार अथवा संरक्षण (Transaction or protection) में प्रयोग किये जा रहे किसी बांट–माप, तौलने एवं मापने के यंत्रों के उपयोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण स्थानीय निरीक्षक/विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा *विधिक माप विज्ञान, अधिनियम 2009* के संगत प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे निरीक्षण में किसी बांट माप अथवा तौलने एवं मापनें के यंत्रों के मानक के अनुरूप न पाये जाने अर्थात त्रुटिपूर्ण पाये जाने अथवा इसके त्रुटिपूर्ण प्रयोग पाये जाने की द"ाा में नियमानुसार अभिग्रहण ज्ञाप (seizure memo) निर्गत कर चालान किया जाता है। साथ ही, निरीक्षणों के दौरान बांट–माप, तौलने एवं मापने के यंत्रों के माध्यम से संव्यवहारित वस्तु एवं इनसे संबन्धित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विधिक माप विज्ञान, अधिनियम 2009 के अंतर्गत बनाये गये '*विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तु) नियम, 2011*' के प्रावधनों के आलोक में भी डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माताओं एवं विक्रेताओं के भी निरीक्षण किये जाते हैं।